

क्रमांक:-एफ-7(4)अकाद/आकाशि/Online (Refresher.)2020/47 दिनांक:- 09 फरवरी 2021
निदेशक, (एचआरडीसी),
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय:-दिनांक - 15 फरवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक आयोजित होने वाले
रिफ्रेशर कोर्स बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्रांक एचआरडीसी/2021/766 दिनांक 6.1.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 15 फरवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक आयोजित होने वाले ऑन लाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्न सह/सहायक आचार्यों को मनोनीत किया जाता है :-

S. No.	Name	Mobile No.	E-Mail ID	Subject	Name of College
1.	Savita Meena	9911685138	savita.11fd@gmail.com	Chemistry	Govt. PG College, Khetadi (Jhunjhunu)
2.	Vinod Kumar	87693433435	chemvinod81@gmail.com	Chemistry	Govt. Nehru Memorial College, Hanumangarh
3.	Ishwar Chand Balai	9950841733	icsurda@gmail.com	Chemistry	Govt. College, Neemkathana
4.	Arun Goyal	9414817742	arunchemphd@gmail.com	Chemistry	Govt. PG College, Rajgarh (Alwar)
5.	Prakash Chand Singhadiya	8058604471	prakashsinghadiya82@gmail.com	Physics	Govt. College, Kaladera (Jaipur)
6.	Kamal Kishore Verma	9950107877	kkverma19@gmail.com	Chemistry	Govt. College, Kaladera (Jaipur)
7.	Jagdeesh Meena	8058175503	jagdeeshmeena14@gmail.com	Chemistry	Govt. College, Karaouli
8.	Pramod Kumar Meena	9462650641	pramodkrmeena@gmail.com	Chemistry	Govt. Bangur College, Didwana
9.	Sanjay Kumar	9888806504	sanjaysnkp@gmail.com	Chemistry	SNKP Govt. PG College, Neemkathan (Sikar)
10.	Vijendra Kumar Meena	9785979962	meenavijendra87@gmail.com	Chemistry	Govt. College, Ganagapurcity
11.	Raja Ram	9828091636	r.r.khararia@gmail.com	Chemistry	Govt. Dungan College, Bikaner
12.	Urmila Meena	9269077038	urmilameena@gmail.com	Chemistry	Govt. College, Gangapurcity

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (सम्बन्धित) आपके महाविद्यालय में कार्यरत उक्त मनोनीत सह/सहायक आचार्यों को उक्त कोर्स हेतु कार्य मुक्त करें । प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को उक्त कोर्स हेतु कार्यमुक्त करें, जिन्हें सी0ए0एस0 के तहत कोर्स करना आवश्यक हो ।
2. सम्बन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सीएएस के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड-4 के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं, तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है, जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर सम्बन्धित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ साथ उस तिथि के पश्चात् एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।
3. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड/ई-मेल करने हेतु ।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)